

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

दिनांक/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
21/19	88, 89, 91 RTA	भूखन थर	उ.प.डी
वादी	136 L-RACT	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
राधेश्याम		बनाम	ओम प्रकाश कीठ

वकील :- वृद्ध भूषण शर्मा

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

11/3/19

अतिमात्रक प्रार्थों द्वारा बंदफत अंतर्गत धारा 88, 89, 91 RTA एवं 136 L-RACT विफल अप्रार्थों गणों के उक्त न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सहित मा अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाके तथा अप्रार्थों गणों को पारिते समत व लव कर पत्रावली दिनांक 11/3/19 को पेश हो।

[Handwritten signature]

11/3/19

आज पीतारतीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 9/4/19 को पेश हो।

[Handwritten signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

9/4/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थों उपर। प्रतिवादी गणों के बंद तामील समत भारत। विपणन सूचना के अनुपस्थित। इनके विफल एक तथा चर्चा वली की जाती है। तहसील दार से रिपोर्ट ली जाके वास्तु रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 01/5/19 को पेश हो।

01/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थों उपर। तहसील से पत्रावली पेश नहीं हुआ समत वास्तु है वास्तु पत्रावली रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 27/5/19 को पेश हो।

27/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थों उपरस्थित। तहसील दार से रिपोर्ट ली जाके वास्तु रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 01/7/19 को पेश हो।

कार्यवाही एवं आदेश

१३६८

विविध संदर्भ

21 12/20

पत्रोवली पेश हुई। कमील शीर्षी उपस्थित।
आइय नदी उपस्थित नही। समझ-घर्रा है
-प्राप्त हित में अंतिक अवसर दिया जाता है
वास्तु साइकल नदी पत्रोवली दिनांक 19/01/21 को
पेश हो।

प्रशासन गोव के संज्ञा 2021

22 10/21

पत्रोवली प्रशासन गोव के संज्ञा अक्टोबर 2021 को सिविल
मूडब्या पर पेश हुई। शीर्षी द्वारा प्रकरण मू. शमल
अपिलि तिथिक 1956 की धारा 136 CR Act के तहत न्यायालय
में पेश किया गया जिसकी रिपोर्ट प्रशासन गोव
के संज्ञा सिविल मूडब्या पर तहसीलदार इकडा से
ली गई।


तहसीलदार इकडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया
कि शीर्षी खतेदार के पत्नीवती नाम मूडब्या शमल
2074-2077 के खता से रकबा 18 में कदरया पुत्र केशरी
कोश मेघवाल दर्ज रिपोर्ट है जबकि खता से रकबा 20
में 34त खतेदार के पुत्र का लखियत विष्णोलाख दर्ज
हो रहा है। भर्जमे कोश में जानकारी करने पर प्राप्त
कि शीर्षी खतेदार के मुतक पिता का नाम विष्णोलाख
सही है किंतु वस्तु ईतकाल दर्ज करते समय खतेदार
भी बोलता नाम कदरया दर्ज हो गयी जो वर्तमान
तक वही -पला आ रही है दोनों ही नाम एक ही
व्यक्ति है। अतः कदरया के खतान पर कदरया
उर्फ विष्णोलाख दर्ज होने की अनुशेधा की जाती
है।

भुताविक परबारी इका एवं तहसीलदार इकडा
की रिपोर्ट के आधार पर मू. शमल अपिलि तिथिक 1956
की धारा 136 CR Act के तहत शीर्षी का नाम कदरया

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

के खास पर बहरिया बहरिया 30 किश्ती लालदर
करने के आदेश तहसीलदार इकाई को दिया
जाते है। आदेश प्रथम से जारी हो। पत्रावली
मैशल नुम्बर होकर दारिजल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
छबडा, जिला बारा (राज०)